



## कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)

उत्तर प्रदेश, ऑडिट भवन, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226 010

### परिपत्र

परिपत्र संख्या: 01 दिनांक: 21.01.2025

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 4 (4) के अंतर्गत जारी भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय के संकल्प संख्या: 21034/8/2015 दिनांक 04.06.2015 के अनुसार सभी क्षेत्रों (अर्थात् 'क', 'ख' एवं 'ग') में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण वर्ष 2025 के अंत तक पूरा किया जाना है। उक्त प्रावधान के अनुपालन में, इस कार्यालय का हिन्दी प्रशिक्षण रोस्टर तैयार किया जाना है जिससे एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा स्लॉट्स बनाकर हिन्दी प्रशिक्षण हेतु शेष अप्रशिक्षित कर्मिकों को उनकी पात्रता के अनुसार वर्ष 2025 तक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

अतः इस कार्यालय के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों से आग्रह है कि वे हिन्दी ज्ञान की जानकारी से संबंधित संलग्न प्रपत्र को भरकर दिनांक 24.01.2025 तक अनिवार्य रूप से हिन्दी अनुभाग को प्रस्तुत करें जिससे कि तदनुसार इस कार्यालय का अद्यतित हिन्दी प्रशिक्षण रोस्टर तैयार किया जा सके।

As per the Resolution No. 21034/8/2015 dated 04.06.2015 of the Hon'ble President of India issued under Section 4 (4) of the Official Languages Act, 1963 (as amended in 1967), the training of Hindi for the employees of Central Government offices located in all the regions (i.e. 'A', 'B' and 'C') is to be completed by the end of the year 2025. In compliance with the said provision, the Hindi training roster of this office is to be prepared so that by creating an effective training program and slots, the remaining untrained personnel can be trained for Hindi training as per their eligibility by the year 2025.

Therefore, all the officers/employees of this office are hereby requested to fill the enclosed form regarding their knowledge of Hindi and submit it to the Hindi Section by 24.01.2025 so that an updated Hindi training roster of this office can be prepared accordingly.

(प्राधिकार: वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) महोदय के आदेश दिनांक: 21.01.2025)

संलग्नक: प्रपत्र।

हस्ता.

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (राजभाषा)

संख्या: हिन्दी अनु./हिन्दी शिक्षण योजना/2024-25/ 09

दिनांक: 21.01.2025

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. व. उप महालेखाकार (एएमजी-3 एवं प्रशासन)
2. व. उप महालेखाकार (एएमजी-2)
3. उप महालेखाकार (एएमजी-4)
4. उप महालेखाकार (एएमजी-1)
5. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-2), लखनऊ
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा- द्वितीय), शाखा कार्यालय, प्रयागराज
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी तथा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी [प्रशासन, सामान्य प्रशासन, पीसी प्रकोष्ठ, आईटीए, एएमजी-2 (प्रो), एएमजी-3 (प्रो) एएमजी-4 (प्रो), प्रतिवेदन अनुभाग (राजस्व), प्रतिवेदन अनुभाग (पीएसयू और

नॉन पीएसयू), आई. टी., आई.टी.ए., एनआरए/डीसोआरए, जीपीएफआर प्रकोष्ठ]- इस अनुरोध सहित कि अपने अनुभाग में पदस्थापित समस्त कर्मिकों से उक्त प्रपत्र को भरवाकर तथा उन्हें संकलित करवाकर हिन्दी अनुभाग को दिनांक 24.01.2025 तक प्रेषित करें।

- ✓ 8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (आई.टी. अनुभाग) को इस आशय के साथ कि उक्त परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
9. समस्त कर्मिकों (फील्ड पार्टियों सहित) को ई-मेल द्वारा प्रेषित।
10. सूचना-पट्ट

30/1/25  
हिन्दी अधिकारी 21/1/25

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),

उत्तर प्रदेश, ऑडिट भवन, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ-226 010

हिंदी ज्ञान की जानकारी से संबंधित प्रपत्र

**Format of Information related to Hindi Knowledge**

1.	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम Name of the Officer/ Employee	
2.	पदनाम/ Designation	
3.	मोबाइल संख्या/ Mobile No.	
4.	ई-मेल आईडी/ Email-ID	
5.	शैक्षणिक योग्यता/ Education Qualification	
6.	मातृभाषा/ Mother Tongue	
7.	शिक्षा का माध्यम/ Medium of Instruction : क. कक्षा 10 <sup>वीं</sup> तक/ Up to class 10 <sup>th</sup> ख. कक्षा 12 <sup>वीं</sup> तक/ Up to class 12 <sup>th</sup> ग. स्नातक/ स्नातकोत्तर तक/ Up to Graduation/ Post- Graduation	
8.	हिंदी एक विषय के रूप में किस स्तर तक पढ़ी है? (8 <sup>वीं</sup> / 10 <sup>वीं</sup> / 12 <sup>वीं</sup> / स्नातक/ स्नातकोत्तर)/ Up to which level Hindi is studied as a subject? (8 <sup>th</sup> /12 <sup>th</sup> /Graduation/Post- Graduation)	
9.	हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत उत्तीर्ण प्रशिक्षण (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत) Training Passed under Hindi Teaching Scheme (Prabodh, Praveen, Pragya and Parangat)	
10.	अन्य किसी योजना के अंतर्गत प्राप्त हिंदी शिक्षण का ब्यौरा/ Details of Hindi Training pursued under any other scheme	
11.	क्या हिंदी टंकण/ आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान किया गया है? Whether Hindi -typing or Hindi Stenography training has been imparted?	

(हस्ताक्षर/ Signature)

अधिकारी/ कर्मचारी का नाम:

Name of the officer/ official:

अनुभाग/ Section: